अध्याय XVII : विद्युत मंत्रालय

भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड

17.1 प्रतिपूरक भत्ते का अनियमित भुगतान

पीएसईबी के वेतनमान को अपनाने के बाद प्रतिपूर्ति भत्ता का लगातार भुगतान करने के परिणामस्वरूप 2014-15 से 2015-16 के दौरान ₹ 2.56 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) ने 19 जुलाई 1991 को हुई अपनी 143 वीं बैठक में पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (पीएसईबी) अब पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड-पीएसपीसीएल- के समय-समय पर संशोधित वेतनमान को बीबीएमबी में काम कर रहे सभी कर्मचारियों के लिए अपनाने का निर्णय लिया था। बीबीएमबी ने यह भी निर्णय लिया कि भविष्य में पीएसईबी द्वारा स्वीकृत भत्ते/रियायतें समय-समय पर अपनाई जाएंगी।

बीबीएमबी के आठ इकाइयों में कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाले विभिन्न भत्ते की एक नमूना जांच से पता चला कि कर्मचारियों ने पीएसईबी के वेतनमानों/भत्ते के अनुसार वेतन और भत्ते के अलावा प्रतिपूरक भत्तों को आहरित किया था। हालांकि पीएसईबी के वेतनमान को अपनाने से पहले बीबीएम के कर्मचारियों को प्रतिपूरक भत्ता का भुगतान किया जा रहा था, जुलाई 1991 के बाद इसका निरंतर भुगतान अनियमित था। पीएसपीसीएल ने भी स्पष्ट किया था (जुलाई 2014) कि उसके कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति भत्ते की अनुमति के लिए कोई प्रावधान नहीं था। लेखापरीक्षा में शामिल आठ इकाइयों[1] में 2014-15 से 2015-16 के दौरान प्रतिपूर्ति भत्ते के प्रति ₹ 2.56 करोड़ का अनियमित व्यय किया था।

[1] (i) निदेशक डिजाइन, नांगल ₹ 9.81 लाख, (ii) एफए और सीएओ, नांगल: ₹ 25.74 लाख, (iii) आरई गंगवाल और कोटला पावर हाउस डिवीजन गंगवाल ₹ 48.61 लाख, (iv) मुख्य अभियंता (जनरेशन), नागल ₹ 9.50 लाख (v) स्टोर प्रोक्योरमेंट एंड डिस्पोजल डिवीजन, तलवारा, ₹ 12.76 लाख (vi) स्टोर प्रोक्योरमेंट एंड डिस्पोजल डिवीजन, सुंदर नगर: ₹ 33.23 लाख (vii) मुख्य इंजीनियर ब्यास प्रोजेक्ट, तलवारा ₹ 15.80 लाख और (viii) भवन निर्माण और टाउनशिप डिवीजन, नांगल: ₹ 100.60 लाख

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2017) कि बोर्ड अपने कर्मचारियों को वेतन और भत्ते देने के लिए सक्षम था और अगस्त 1978 में बीबीएमबी बोर्ड द्वारा प्रतिपूरक भत्ते का भुगतान का अनुमोदन किया गया था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि जुलाई 1991 के बाद स्वीकार्य भत्ते के रूप में मौजूद होने के बाद प्रतिपूरक भत्ता नहीं रह गया क्योंकि बीबीएमबी ने जुलाई 1991 में अपने कर्मचारियों के लिए पीएसईबी के वेतनमान/भत्ते को अपनाया था और पीएसईबी/पीएसपीसीएल में प्रतिपूर्ति भत्ते का भुगतान नहीं किया गया था। इस प्रकार, पीएसईबी के वेतनमान को अपनाने के परिणामस्वरूप प्रतिपूर्ति भत्ता का निरंतर भुगतान होने से 2014-15 से 2015-16 के दौरान ₹ 2.56 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

मामला विद्युत मंत्रालय को भेजा गया था (मई 2017); उनका उत्तर दिसंबर 2017 तक प्रतीक्षित था।